

प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 17.07.2022

नबालिग बालिका के साथ छेड़खानी करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के कुशल पर्यवेक्षण में व रणधीर कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17/07/2022 को थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत उ0नि0 राम प्रवेश द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 308/2022 धारा 354(ग),354(घ),504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गौरव प्रजापति पुत्र प्रमोद कुमार निवासी जंगल तुलसीराम बिछिया (कुम्हार टोला) थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को पीएसी तिराहा बिछिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गौरव प्रजापति पुत्र प्रमोद कुमार निवासी जंगल तुलसीराम बिछिया (कुम्हार टोला) थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

पीएसी तिराहा बिछिया के पास से, समय 13.10 बजे दिनांक 17.07.2022

गिरफ्तारी का अभियोग-

मु0अ0सं0 308/2022 धारा 354(ग),354(घ),504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का नाम :-

- 1- उ0नि0 राम प्रवेश चौकी प्रभारी कौवाबाग थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
- 2- हे0का0 राजू उपाध्याय थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
- 3-आरक्षी संजय राजभर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।